न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 81 / 2015 / आवेदन 136 एलआरएक्ट

1 नन्दलाल पुत्र खुमाणाराम } समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम यालसर
2 शंकरलाल पुत्र रेखाराम } तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज.)।
3 मैसर्स श्री गणेश स्टोन ग्राम बगडियों का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। जरिये भागीदार विनेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर।

— प्रार्थीगण

ब ना म

1 तहसीलदार दांतारामगढ।
2 जिला कलेक्टर सीकर।
3 ग्राम पंचायत डूकिया जरिये सरपंच।

— अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अं. धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>
<u>बाबत् नक्शा दुरूस्ती</u>

उपस्थिति—

1. श्री शिवपाल सिंह वकील वादी की ओर सें।
2. अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

<u>नि र्ण य</u> **दिनांक — 05.04.2022**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम डूकिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में भूमियां पुराने ख.नं. 298 / 1 व 298 / 2 अवस्थित रही है। भूमि ख.नं. 298 / 1 मूल ख.नं. 298 के पश्चिमी दिशा का हिस्सा रहा है तथा ख.नं. 298 / 2 मूल ख.नं. 298 का पूर्वी हिस्सा रहा है। नये सेटलमेंट के दौरान भूमि पुराना ख.नं. 298 / 1 के बटटा नम्बरों से जो नये ख.नं. कायम किये गये है उनकी जो नक्शा सर्वे शीट तैयार की गई है वह पुराने नक्शा सर्वे शीट तथा मौका स्थिति के विपरीत तैयार कर दी गयी जो पुरानी व नयी नक्शा सर्वे शीट के अवलोकन से प्रमाणित है। नयी नक्शा सर्वे शीट में ख.नं. 376 / 2564 गलत रूप से अंकित कर दिया है जिसे नक्शा सर्वे शीट से

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

हटाते हुए नये ख.नं. 373, 374 व 376 की नयी नक्शा सर्वे शीट पुराने ख.नं. 298/1 के अनुरूप दुरूस्त किया जाना उचित, आवश्यक एवम न्याय संगत है। ख.नं. 376 रकबा 5.32 है0 का राजस्व रिकार्ड में बटंवारा होकर नये ख.नं. 376/2 रकबा 2.79 है0 व 376/1 रकबा 2.52 है0 राजस्व रिकार्ड में कायम किये गये। प्रार्थी संख्या 2 शंकरलाल के हिस्से में ख.नं. 376/2 आया, जिसने उक्त ख.नं. में से रकबा 1.00 है0–1.00 है0 की दो लीज जिनका नम्बर एमएल 589/11 व 590/11 खनीज विभाग सीकर द्वारा अपने हक में जारी करवायी तथा उसने प्रार्थी संख्या 3 के हक में हस्तांतरण एग्रीमेंट करवा दिया। वर्तमान नक्शा सर्वे शीट में ख.नं. 376/2 में लीज एमएल नं. 589/11 व 590/11 की जो तरमीम की गई है वह खनिज अभियन्ता खान एवं भूविज्ञान विभाग सीकर के आदेश के अनुरूप नहीं की जाकर गलत रूप से की गई है, जिसे भी दुरूस्त किया जाना उचित, आवश्यक एवम न्याय संगत है। जांच पटवारी हल्का डूकिया जांच भू.अ.नि. डूकिया द्वारा करवाई जाकर नायब तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार वर्तमान ग्राम बगडियो का बास के ख.नं. 376/2544 के नक्शे को वर्तमान ख.नं. 732/376 (ख.नं. 376 का हिस्सा) मे मिलाना उचित है ओर साथ ही नक्शे मे दर्शित ख.नं. 376/2544 को इसी के पूर्वी तरफ ख.नं. 375 किस्म चारागाह के नक्शे मे स्थापित किया जाना उचित है। नायब तहसीलदार पलसाना व जांच भू.अ.नि. व पटवारी कि रिपोट पत्र के साथ संलग्न कर वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतू सादर प्रेषित है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवदेन नक्शा दुरूस्ती स्वीकार कर नयी नक्शा सर्वे शीट में दुरूस्ती फरमाये जाने की कृपा करें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना के अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गयी। वकील प्रार्थी की बहस

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि आवदेन नक्शा दुरूस्ती स्वीकार कर नयी नक्शा सर्वे शीट में दुरूस्ती किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ ने रिपोर्ट में अकंन किया कि वर्तमान ग्राम बगडियो का बास के ख.नं. 376/2544 के नक्शे को वर्तमान ख. नं. 732/376 (ख.नं. 376 का हिस्सा) मे मिलाना उचित है ओर साथ ही नक्शे मे दर्शित ख.नं. 376/2544 को इसी के पूर्वी तरफ ख.नं. 375 किस्म चारागाह के नक्शे मे स्थापित किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन नक्शा दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन रिकोर्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बगडियो का बास के ख.नं. 376/2544 के नक्शे को वर्तमान ख.नं. 732/376 (ख.नं. 376 का हिस्सा) मे मिलाना एवं साथ ही नक्शे मे दर्शित ख.नं. 376/2544 को इसी के पूर्वी तरफ ख.नं. 375 किस्म चारागाह के नक्शे मे स्थापित किया जाने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/4/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ